

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 25/2024 दायर दिनांक 01.02.2024

## वादी

1. हुसैन खां पुत्र भोलु खां
2. अब्दुल रहमान पुत्र निजाम खां समस्त जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

## प्रतिवादीगण

1. मजीद खां पुत्र अली खां
2. यासीन खां पुत्र अली खां
3. सिकन्दर खां पुत्र अली खां
4. हमीद खां पुत्र अली खां
5. रजाक खां पुत्र अली खां
6. जैबुन बेगम पुत्री अली खां पत्नी सुल्तान खां
7. इब्राहिम खां पुत्र पन्ने खां
8. मुंशी खां पुत्र पन्ने खां
9. शायरा पुत्री पन्ने खां पत्नी बशीर खां
10. जरीना बेगम पुत्री पन्ने खां पत्नी याकूब खां
11. राबीया बेगम पुत्री पन्ने खां पत्नी ममदु खां
12. हिदायत खां पुत्र निजाम खां
13. उमरदीन खां पुत्र निजाम खां
14. इस्लाम बानों पुत्री निजाम खां पत्नी लुकमान खां
15. मुकारब खां पुत्र हबीब खां
16. असलम शेख पुत्र हबीब खां
17. मुराद खां पुत्र हबीब खां
18. सलीम खां पुत्र हबीब खां
19. सईदन बानों बैवा हबीब खां
20. अल्लादीन खां उर्फ अलादीन पुत्र भोलू खां
21. रिमजू खां पुत्र भोलू खां
22. मांगु खां पुत्र फकीर खां
23. ममदु खां पुत्र रसूल खां
24. अब्दुल रहमान पुत्र रसूल खां
25. अमराव बानों बैवा रसूल खां
26. रईसा बानों पुत्री रसूल खां पत्नी बिलाल खां
27. युसुफ खां पुत्र दीदार खां
28. यासीन खां पुत्र दीदार खां समस्त जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।
29. तहसीलदार छोटी खाटू।
30. तहसीलदार डीडवाना।

## बनाम्

## दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व रिकर्ड दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53,88, 188 R.T.Act.

## उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह वकील प्रतिवादीगण।

--: अन्तिम निर्णय :-

दिनांक 24.07.2025



वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद सानियां के खसरा सं0 152 रकबा 0.3700 हैक्टे0, खसरा सं0 155 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 156 रकबा 0.2300 हैक्टे0, खसरा सं0 3700 हैक्टे0, खसरा सं0 155 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 156 रकबा 0.2300 हैक्टे0, खसरा सं0 389 रकबा 2.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 390 रकबा 0.8200 हैक्टे0, खसरा सं0 410 रकबा 0.0800 हैक्टे0, कुल रकबा 4.3800 हैक्टे0 व खसरा सं0 420 रकबा 1.2700 हैक्टे0, खसरा सं0 431 रकबा 3.

विकास  
उपखण्ड अधिकारी

1100 हैक्टे0 तथा सरहद खुनखुना स्टेशन के खेत खसरा सं0 416 रकबा 1.3800 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 16.10.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना व तहसीलदार छोटीखादू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/258 दिनांक 28.05.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/823 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना एवं तहसीलदार छोटीखादू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना एवं तहसीलदार छोटीखादू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/258 दिनांक 28.05.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/823 दिनांक 27.05.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

—: आदेश :-

राजस्व ग्राम सानियां के खसरा सं0 152 रकबा 0.3700 हैक्टे0, खसरा सं0 155 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 156 रकबा 0.2300 हैक्टे0, खसरा सं0 389 रकबा 2.8700 हैक्टे0, खसरा सं0 390 रकबा 0.8200 हैक्टे0, खसरा सं0 410 रकबा 0.0800 हैक्टे0, कुल रकबा 4.3800 हैक्टे0 व खसरा सं0 420 रकबा 1.2700 हैक्टे0, खसरा सं0 431 रकबा 3.1100 हैक्टे0 तथा सरहद खुनखुना स्टेशन के खेत खसरा सं0 416 रकबा 1.3800 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/258 दिनांक 28.05.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/823 दिनांक 27.05.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/258 दिनांक 28.05.2025 एवं तहसीलदार छोटीखादू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/823 दिनांक 27.05.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*in kas*

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*in kas*

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना